



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/388

दिनांक:- 10/07/2023

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-1 (ले-आउट प्लान) 15/2023 की बैठक दिनांक 06.07.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | सजाडा | 150 | 05.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री रेवतराम पुत्र श्री भैराराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम सजाडा के खसरा संख्या 150 रकबा 05.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none">आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रास्ते के मध्य से 09 मीटर भूमि मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग ग्रामीण सड़क से लिंक हो रहा है उक्त सड़क को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में राशि तथा नियमानुसार समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 2 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|----------------------|---------------|--------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | नान्दडा कंला | 264, 264/2, 264/6 | 12.03.06 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम, श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कंला के खसरा संख्या 264, 264/2, 264/6 रकबा 12.03.06 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को मौका अनुसार उपलब्ध पहुँच मार्ग 80 फीट सड़क से प्राप्त हो रहा है जो जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़क है। उक्त सड़क कुछ भाग अन्य खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित है अतः उक्त सड़क का वह भाग जो आवेदित भूमि से पूर्व कमिटमेंट तक की भूमि में स्थित है उक्त भूमि के संबंधित खातेदारों से रास्ते बाबत सहमति प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट सड़क को योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 4. योजना में प्रस्तावित व्यवसायिक भूखण्डों को आवासीय भूखण्ड दर्शाये जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 3 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 53/3, 50/3 | 07.18.15 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री प्रहलादसिंह पुत्र श्री स्व. गोविन्दराम, श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. गोविन्दसिंह व श्रीमती सरोज बिड़ला पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार बिड़ला | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 53/3, 50/3 रकबा 07.18.15 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 24 मीटर भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। 2. आवेदित भूमि के समीपीय भूमि खसरा संख्या 53/1 पार्ट, 53/3 पार्ट आदि जो मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार कोर फेसलिटी भू-उपयोग में आरक्षित है परन्तु मौके पर बिना | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>स्वीकृति सडक निर्मित कर भूखण्डों के मुटाम लगाये गए हैं अतः नियमानुसार कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। |
|--|---|

एजेण्डा संख्या 4 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|--|---------------|--------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | उच्चियारडा | 50/1 (नवीन खसरा संख्या 50/15), 50/10, 50/12, | 07.17.10 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री बलवीरसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह, श्रीमती उदयकंवर पत्नी श्री मनोहरसिंह, श्रीमती संतोष कंवर पत्नी श्री मनोहरसिंह, श्री केशरसिंह पुत्र श्री प्रहलादसिंह, श्री गिरधर पुत्र श्री पूनाराम सैन | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उच्चियारडा के खसरा संख्या 50/1 (नवीन खसरा संख्या 50/15), 50/10, 50/12, रकबा 07.17.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को मौका अनुसार उपलब्ध पहुँच मार्ग 80 फीट सडक से प्राप्त हो रहा है जो जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सडक है। उक्त सडक कुछ भाग अन्य खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित है अतः उक्त सडक का वह भाग जो आवेदित भूमि से पूर्व कमिटमेंट तक की भूमि में स्थित है उक्त भूमि के संबंधित खातेदारों से रास्ते बाबत सहमति प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट सडक को योजना मानचित्र में दर्शाया जावें। योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। | | | | |

| |
|---|
| 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
| 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। |

एजेण्डा संख्या 5 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|-----------------|---|---------------|---|
| 06.07.2023 | जोन-1 | जालेली चम्पावता | 49/5, 49/6 (नवीन खसरा संख्या 49/9), 49 (नवीन खसरा संख्या 49/10) | 03.00.00 बीघा | नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज |
| आवेदक | श्री भंवरलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम जालेली चम्पावता के खसरा संख्या 49/5, 49/6 (नवीन खसरा संख्या 49/9), 49 (नवीन खसरा संख्या 49/10) रकबा 03.00.00 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर है अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावें। 2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि पर मौके पर निर्माण है अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(9)नवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित भवन विनियम के प्रावधान 21.8 की तालिका 11 अनुसार शास्ति की वसूली जोन स्तर पर ली जावें तथा अवैध निर्माण को एक वर्ष में हटाये जाने बाबत प्रार्थी से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें। 4. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 06 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|--|-----------------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | कांकेलाव | 410 | 26.12.00 बीघा में से 10.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री चंदाराम पुत्र श्री महेशाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम कांकेलाव के खसरा संख्या 410 रकबा 26.12.00 बीघा में से 10.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |

| | |
|----------|--|
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग को 18 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में राशि तथा नियमानुसार समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
|----------|--|

एजेण्डा संख्या 7 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | बनाड | 310/14 | 03.11.10 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री ओमेश कुमार, श्री सीताराम पि. शंकरलाल, सन्तु पत्नी श्री कैलाशचन्द्र, श्री भगवानराम, विशाल, कार्तिक पि. कैलाशचन्द्र, रेणुका पुत्री श्री कैलाशचन्द्र | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 310/14 रकबा 03.11.10 बीघा में आवासीय योजना एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग पूर्व अनुमोदित योजना से दर्शाया गया है परन्तु उक्त पहुंच मार्ग मौके पर निर्मित नहीं है। अतः प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 8 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-----------------|---------------|---|
| 06.07.2023 | जोन-1 | डांगियावास | 110/4, 110/5 | 05.10.00 बीघा | नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज |
| आवेदक | श्रीमती जसोदा बाई पत्नी श्री कांतिलाल, श्री श्रवणराम पुत्र श्री हीराराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 110/4, 110/5 रकबा 05.10.00 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर है अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे। 2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। 3. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। | | | | |

| | |
|----|---|
| 5. | उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। |
| 6. | प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 9 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|---|--|------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | बनाड | 444/1/1 (नवीन खसरा संख्या 444/13) | 04.14.00 बीघा में से 910.30 वर्गमीटर | आवासीय एकल |
| आवेदक | श्री भंवरलाल, श्री लिखमाराम, श्री सुजाराम, श्री चन्द्राराम व श्री गिरधारीराम पुत्रान् स्व. श्री हरजीराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 444/1/1 (नवीन खसरा संख्या 444/13) रकबा 04.14.00 बीघा में से 910.30 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में आवेदित भूमि के आस-पास मौके पर निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सुओ-मोटो के आधार पर ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 10 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | बांवरला | 128/1 | 03.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री पप्पूराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बांवरला के खसरा संख्या 128/1 रकबा रकबा रकबा 03.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रास्ते के मध्य से 12 मीटर भूमि मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में राशि तथा नियमानुसार समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 11 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | डोलिया | 124 पार्ट | 13.19.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व. श्री पारस मल भण्डारी | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बासनी डोलिया के खसरा संख्या 124 का पार्ट रकबा 13.19.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 12 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। 02. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 03. नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। 04. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 05. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 06. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। | | | | |

एजेण्डा संख्या 12 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|---------------------|---------------|------------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | डोलिया | 124 (पार्ट), 125 | 29.14.00 बीघा | फार्म हाउस योजना |
| आवेदक | श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व. श्री पारस मल भण्डारी | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 124 (पार्ट), 125 रकबा 29.14.00 बीघा में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 12 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। 02. योजना में विक्रय योग्य क्षेत्रफल 75 प्रतिशत से अधिक है अतः टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। 03. नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। 04. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 05. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 13 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | खारडा रणधीर | 57 | 08.16.00 बीघा में से 03.10.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्रीमती टेमुडी पत्नी श्री रामूराम, श्री लिछमणराम, श्री बाबुराम, श्री विरमाराम पुत्रान् श्री गोपीराम, श्री कैलाशराम, श्री गुल्लाराम, श्री सेनाराम, श्री पीनाराम, श्री हंसराज पुत्रान् श्री रामूराम, श्रीमती शान्ति पत्नी श्री मुगलाराम एवं श्री उम्मेदराम, श्री मुकेश कुमार पुत्रान् श्री मंगलाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 57 रकबा 08.16.00 बीघा में से 03.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ में संशोधन के संबंध में। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. उक्त निर्णय माननीय उच्च में विचाराधीन सिविल पीटिशन संख्या 6134/2023 के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा। 02. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक को अंकित करते हुए संशोधित मानचित्र जारी किया जावें। 03. जोनल डवलपमेंट प्लान की सडक से प्रभावित भूखण्ड जिसका पट्टा विलेख जारी है, को निरस्त कर नवीन ले-आउट प्लान अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित कि गया। 04. पूर्व बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 26.11.2021 के एजेण्डा संख्या 07 में उक्त प्रकरण बाबत् लिये गए निर्णय की शर्तें यथावत रहेगीं। | | | | |

एजेण्डा संख्या 14 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 138/1, 138/3, 140/9 | 08.09.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्रीमती द्रोपदी सांकला पत्नी श्री प्यारेलाल, श्री रामप्रकाश पुत्र श्री कालूराम, श्री बीरमाराम आचार्य पुत्र श्री भागीरथराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 138/1, 138/3, 140/9 रकबा 08.09.00 बीघा में आवासीय योजना एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 24 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि आरक्षित रखी जावें। 2. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

| |
|---|
| 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |
|---|

एजेण्डा संख्या 15 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | अलकदडा | 8 नवीन खसरा संख्या 8/8 (90/क उपरान्त) | 10.00.00 बीघा | कृषि आधारित वेयर हाउस |
| आवेदक | श्री सुरज पि. श्री मांगीलाल, सुगना पुत्री श्री मांगीलाल, भंवरी पत्नी श्री लच्छीराम, श्री भवरलाल, श्री जेठाराम पि. श्री लच्छीराम, गंगा पुत्र श्री लच्छीराम, सुनारी पत्नी श्री सादुलराम, श्री सुखाराम, श्री शंकरलाल, श्री राजुराम पि. श्री सादुलराम, रेखा पुत्री श्री सादुलराम, गंगा पत्नी श्री कानाराम, राकेश, बुद्धाराम पुत्रान् कानाराम एवम् सुमन पुत्री कानाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम अलकदडा के खसरा संख्या 8 नवीन खसरा संख्या 8/8 (90/क उपरान्त) रकबा 10.00.00 बीघा में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में पूर्व बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 06.12.2022 के एजेण्डा संख्या 14 में लिए गए निर्णय में संपरिवर्तित भूमि का प्रयोजन सामान्य वेयर हाउस के स्थान पर कृषि आधारित वेयर हाउस पढा व समझा जावे एवम् पूर्व की समस्त शर्तें यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 16 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|----------------|---------------------------|------------|------------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | जालेली फौजदारा | 174/1, 174/2, 174/3 | 3.8550 है० | फार्म हाउस योजना |
| आवेदक | श्री चुनाराम पुत्र श्री उरजाराम जरिये आममुख्यार श्री नाथुराम पुत्र स्व. श्री अर्जुनराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम जालेली फौजदारा के खसरा संख्या 174/1, 174/2, 174/3 रकबा 3.8550 है० में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई पूर्व बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 12.04.2023 में लिए गए निर्णय अनुसार 60 फीट आरक्षित रखी जावे। 02. नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे। 03. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 04. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 17 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 06.07.2023 | जोन-1 | खारडा रणधीर | 131/7, 131/2 | 05.02.13 बीघा | शैक्षणिक प्रयोजनार्थ |
| आवेदक | 01. श्री गुरु जम्भेश्वर शोध एवं शिक्षण संस्थान ट्रस्ट जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती ओमीबाला पंवार पत्नी श्री ओमप्रकाश विश्‍नोई, 02. जैसलमेंर एज्युकेशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सोसायटी जरिये अध्यक्ष श्री शक्ति सिंह रावलोत | | | | |


| | |
|----------|---|
| विषय:- | राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 131/7, 131/2 रकबा 05.02.13 बीघा में शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्। |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त पूर्व बी.पी.सी (एल.पी) बैठक दिनांक 12.04.2023 के एजेण्डा संख्या 12 में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 02 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। |

एजेण्डा संख्या 18 :-

विषय :- भवन मानचित्र समिति जोन-1 (ले-आउट प्लान) की गत बैठक दिनांक 12.04.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


10/07/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)


एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/389-394 दिनांक:- 10/07/2023
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-1), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


10/07/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव


भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 15/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति मृदुला शेखावत, उपायुक्त (जोन-1) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


10/07/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर